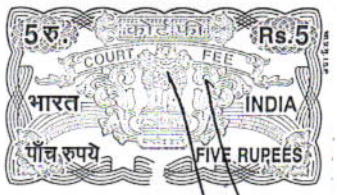

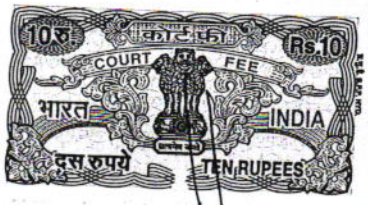

209

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. /2014 रिव्यू – 1460 – III/14

1. मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री रामनाथ शर्मा
2. गोविन्द सिंह पुत्र श्री भगवंत सिंह गौर, निवासी– जतारा, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़, (म.प्र.) ......आवेदकगण

श्री एल. एस. धाकड़ अभि० द्वारा आज दिनांक 7-5-14 को प्रस्तुत। 7/5/14

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री सीताराम गंगेले
2. अखलेश पुत्र स्व. श्री नाथूराम गंगेले
3. राकेश पुत्र स्व. श्री नाथूराम गंगेले
4. रामलली वेवा पत्नी स्व. श्री नाथूराम गंगेले निवासीगण– ग्राम बैरवार, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़, (म.प्र.) ....अनावेदकगण

7.5.14 (L.S. Dhakad. Adv.)

रिव्यू आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 815–III/14 में पारित आदेश दिनांक 14.03.2014 के विरूद्ध रिव्यू आवेदन पत्र प्रस्तुत।

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की ओर से रिव्यू आवेदन पत्र निम्नप्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, विवादित् भूमि सर्वे क्रमांक 271, 272/1 रकवा 0.109 हैक्टेयर एवं 3.844 हैक्टर जो मौजा किटाखेर, पटवारी हल्का बैरवार, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़ में स्थित है। उक्त विवादित् भूमि के बंटवारे हेतु आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय जतारा के समक्ष बंटवारा आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर से तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रकरण क्रमांक 1/अ–27/06–07 पर दर्ज किया जाकर विधिवत् प्रक्रिया एवं नियमों का पालन करते हुये दिनांक 12.06.07 को बंटवारा आदेश पारित किया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू/460/III/14 जिला ...टीकमगढ़...

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/3/16	अधिवक्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों एवं नस्ती के परिशीलन के प्रकाश में एवं आधार पर मैं यह पाता हूँ कि रा.मं. के पूर्व के आदेश दि. 14-3-14 में तहसील का मूल बटवारा आदेश नियमों के उपबंधों में किया गया होना पाया गया है। साथ ही उसमें यह भी लिखा है कि प्रत्यावर्तन उपरान्त उभयपक्ष को तहसील न्यायालय में अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है। इन आधारों पर निगरानी रा.मं. द्वारा पूर्व आदेश दि. 14-3-14 से अभान्य की गई है। इस रिव्यू आवेदन का प्रमुख आधार यह है कि चूंकि अनावेदकपक्ष ने तहसील के मूल बटवारा प्रकरण के अंतरिम आदेश दि. 4-11-06 के विरुद्ध पहले अपर कलेक्टर के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की थी, अतिएव यह नहीं माना जाना चाहिए कि उन्हें बटवारा प्रकरण की जानकारी नहीं थी, अतः SDO	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्वारा परिसीमा की बाधा के आधार पर उनके न्यायालय की अपील को निरस्त किया जाना उचित था, और अपर कलेक्टर द्वारा SDO के आदेश को निरस्त किया जाना गलत था, साथ ही अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को यथावत रखा जाना भी गलत था।	
	प्रकरण के परीक्षण एवं विचारोपरान्त मेरा यह मत है कि (एक) तहसील के अन्तरिम आदेश दि. 4.11.06 की जानकारी होने का अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता कि बटवारे के अन्तिम आदेश की जानकारी भी अनावेदक को आवश्यक रूप से रही हो, (दो) जब तह के मूल बटवारा आदेश में नियमों का उल्लंघन था, तो न्यायहित में बटवारे की कार्यवाही पुनः किया जाना उचित है, और इसके लिए विलम्ब यदि हुआ भी	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 1460-III/14 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	हो तो, उसे माफ किया जाने को विचार किया जाकर उसे (विलम्ब को) न्यायहित में माफ किया जा सकता है, और (तीन) अभी तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक के पास पक्ष समर्थन का उपचार उपलब्ध है, जहाँ वे, वरिष्ठ न्यायालयों में जाने की बजाय एवं उसके पूर्व, अपना पक्ष रख सकते हैं।	
	अतः मैं रा.मं. के पूर्व आदेश दि. 14-3-14 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाता। फलस्वरूप यह रिव्यू आवेदन अस्वीकार एवं अग्राह्य करता हूँ। आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो।	
	(हस्ताक्षर) (सदस्य)	